रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276399
CG-DL-E-22092026-276399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 751] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948 |
| No. 751] | NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948 |

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**(पशुपालन और डेयरी विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

**सा. का.नि. 821(अ).—** राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, तकनीकी अधिकारी (डेयरी विकास), भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग में तकनीकी अधिकारी (डेयरी विकास) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

**1.** **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन और डेयरी विभाग, तकनीकी अधिकारी (डेयरी विकास), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2.** आरंभिक गठन- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में तकनीकी अधिकारी (डेयरी विकास) के पद पर मौजूदा पदधारी, जिसके पास बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डेयरी प्रौद्योगिकी) की डिग्री है, उन्हें तकनीकी अधिकारी (डेयरी विकास) के पद पर

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में रखा जाएगा और इस अधिसूचना की तारीख से पहले की उनकी सेवा इस पद पर सेवा के रूप में मानी जाएगी।

ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे-मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन-मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के तहत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

**7. व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम।** | **पद संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर।** | **चयन या अचयन पद।** |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| तकनीकी अधिकारी (डेयरी विकास)। | 4* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'ख'। | स्तर 8 (रु. 47600 - 151100)। | चयन पद। |
| **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।** | **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अहर्ता प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं ।** | **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।** | **भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।** |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं **होता।** | लागू नहीं **होता।** | 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की दशा में अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति के आधार पर; और<br>50 प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, व श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|
| (11) |
| **प्रोन्नति:**<br><br>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (डेयरी) जो इस श्रेणी में दो साल की नियमित सेवा के साथ और विभाग या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा डेयरी उद्योग में प्रबंधन या तकनीकी विकास या मूल्य संवर्धन अथवा दूध और दूध उत्पादों के मानकीकरण या गुणवत्ता आश्वासन में आयोजित दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डेयरी प्रौद्योगिकी) की शैक्षणिक अहर्ता रखते हों।<br><br>**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):**<br><br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:<br><br>(क) 1. मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br><br>2. जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 7 (रु. 44900 - 142400) या उसके समकक्ष पद पर नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दो साल की सेवा किए हो; और<br><br>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (डेयरी प्रौद्योगिकी) की शैक्षणिक अहर्ता और किसी मान्यता प्राप्त डेयरी उद्योग या डेयरी अनुसंधान संस्थान या संगठन में डेयरी विकास या दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में पाँच साल का कार्य अनुभव रखते हो।<br><br>टिप्पण 1 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>टिप्पण 2.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br><br>टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बांह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **ग्रुप 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होगें:-**<br><br>1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग – अध्यक्ष;<br><br>2. संयुक्त सचिव या उप सचिव (प्रशासन), पशुपालन और डेयरी विभाग – सदस्य;<br><br>3. उपायुक्त (डेयरी विकास), पशुपालन और डेयरी विभाग - सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. A-12018/5/02017-प्रशा.I (E-3744)]

वर्षा जोशी, अपर सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

**(Department of Animal Husbandry and Dairying)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2026

**G.S.R. 821(E). —** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Technical Officer (Dairy Development), Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Dairy Development) in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely: -

**1. Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry and Dairying, Technical Officer (Dairy Development), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Initial constitution**.- The existing incumbent holding the post of Technical Officer (Dairy Development) in level 7 of the pay matrix, who possess Bachelor of Technology (Dairy Technology) shall be placed in the post of Technical Officer (Dairy Development) in level 8 of the pay matrix and their service rendered before the date of this notification shall be deems as service in this post.

These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualification.-**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving**.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other backward classes, economically weaker section and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| Technical Officer (Dairy Development). | 4* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'B'. | Level 8 (Rs.47600-151100). | Selection post. |
| **Age-limit for direct recruits.** | **EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.** | **WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.** | **PERIOD OF PROBATION, IF ANY.** | **METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION / ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.** |
| **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | 50 percent by promotion failing which deputation including Short term contract, and<br>50 percent deputation including short term contract. |

**In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**

**(11)**

**Promotion:**

Senior Technical Assistant (Dairy) in level 7 in the pay matrix with two years regular service in the grade and successful completion of two weeks of training programme in Management or Technological developments or value addition in dairy industry or Standardisation or quality assurance of milk and milk products to be organized by the Department or a recognised Institute and possessing the educational qualifications of Bachelor of Technology (Dairy Technology) from a recognised university or Institute.

**Deputation (including short term contract):**

Officers under the Central Government or State Government or Union territories Administration or Autonomous Bodies or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutes:

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 7 (Rs. 44900 - 142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the educational qualification of Bachelor of Technology (Dairy Technology) from a recognised University or Institute and having five years of work experience in the field of dairy development or milk processing in a recognised dairy Industry or dairy research institute or organisation.

Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.

| **IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.** | **CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-**<br>1. Additional Secretary or Joint Secretary (Dairy Development), Department of Animal Husbandry and Dairying -Chairman;<br>2. Joint Secretary or Deputy Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry and Dairying -Member;<br>3. Deputy Commissioner (Dairy Development), Department of Animal Husbandry and Dairying -Member. | CONSULTATION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS NOT NECESSARY. |

[F. No. A-12018/5/02017-Admn.I (E-3744)]

VARSHA JOSHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA